न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2024/826

1. नाथूलाल पुत्र श्री मांगीलाल कोली जाति कोली निवासी कोली की कोठी खटवा रोड़ कस्बा लालसोट, तहसील लालसोट, जिला दौसा।

– अपीलान्ट

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र बिरदीचन्द,
2. सुभाष चन्द पुत्र बिरदीचन्द,
3. अशोक कुमार पुत्र बिरदीचन्द,
4. ममता देवी पुत्री बिरदीचन्द,
5. कल्लूराम पुत्र रामबिलास,
6. कालूराम पुत्र रामबिलास,
   समस्त जाति ब्राहम्ण, निवासी कस्बा लालसोट, तहसील लालसोट, जिला दौसा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा दिनांक 30.05.2024 जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट उनवानी मोहनलाल व. अन्य बनाम राजस्थान सरकार मुकदमा नंबर 21/2024 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री राजकुमार शर्मा, वकील अपीलान्ट।
2. श्री श्योजीराम शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा0 6 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 7 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–04.03.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 30.05.2024 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 18.12.2024 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 6 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जेकाश्त की खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 2683 रकबा 0.5691 है0 भूमि वाके ग्राम लालसोट, जिला दौसा में स्थित है। जिसकी खातेदारी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 6 का प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लालसोट को आदेश दिये गये कि राजस्व टीम का गठन कर उपरोक्त वर्णित आराजीयात भूमि खसरा नम्बर 2683 रकबा 0.5691 है0 राजस्व ग्राम लालसोट, जिला दौसा का रिपोर्ट की शर्त के अनुसार मौके पर जाकर सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी कायम करवायी जावे तथा नियमानुसार देय राजकीय शुल्क प्रार्थी से प्राप्त किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2024 पारित किये गये हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 30.05.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट नाथूलाल पुत्र श्री मांगीलाल कोली ने यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा दिनांक 30.05.2024 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। वकील उभयपक्ष के निवेदन पर उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध एवं न्यायिक सिद्वान्तों व प्रक्रिया नियमों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट में भूमि के पडौसी खातेदारान को जानबुझकर पक्षकार नहीं बनाया तथा ना ही अंकित किया कि कौन–कौन खातेदार है प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 4 में आसपास के खातेदार उसकी भूमि पर नजर गढाये हुये होने का अंकन तो लिखा है। किन्तु उनको पक्षकार नहीं बनाया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त बिन्दु पर बिना कोई गौर किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जबकि कानूनन प्रार्थना पत्र 128 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट प्रस्तुत करने के लिए भूमि के पडौसी खातेदारान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 3 में भूमि की पैमाईश दिनांक 09.02.2024 को जरिये सैटलमेन्ट विभाग द्वारा करवाना अंकित किया गया है, जबकि उक्त पैमाईश एकपक्षीय पडौसी खातेदार की बिना जानकारी में पडौसी खातेदार की भूमि की सीमा चिन्हित किये बिना मौका पर्चा तैयार की है। प्रार्थना पत्र 128 एल.आर.एक्ट में प्रस्तुत रिपोर्ट तहसीलदार व हल्का पटवारी ने स्पष्ट अंकित किया गया है कि रेस्पोडेन्ट की भूमि खसरा नं0 2683 रकबा 0.5691 हैक्टेयर अकृषि क्षेत्र में स्थित होने से उक्त कृषि भूमि पर आवासीय कॉलोनी के रूप में विकसित होकर प्लाटिंग होकर पक्का निर्माण कार्य हो रखा है। किन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कानूनी बिन्दु को नजर अन्दाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है। खसरा नं0 2683 के पास ही लगती हुई मिन अपीलान्ट की सहखातेदारी की खसरा नं0 2684 एवं अन्य भूमि स्थित है तथा पडौसी खातेदारान को भी पक्षकार बनाया जाना आवश्यक होता है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट में अंकित किया था कि उक्त भूमि के आसपास के खातेदार उसकी भूमि पर नजर गढाये हुये है तथा भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहते है। परन्तु प्रकरण में प्रस्तुत रिपोर्ट में वादग्रस्त भूमि के भू–भाग पर आवासीय कॉलोनी विकसित कर पुख्ता निर्माण कार्य किया जा चुका है तो उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाये जाने का औचित्य या आवश्यकता ही नहीं रही है। किन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर नहीं किया तथा पडौसी खातेदारान कौन है एवं उनको सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए केवल मात्र खानापूर्ति करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में पूर्व में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा किये गये सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करने का निर्णय पारित किया है। परन्तु वास्तविकता में उक्त भूमि आवासीय कॉलोनी के रूप में विकसित हो चुकी है। जिसका कानूनन योग्य अधीनस्थ न्यायालय को इस प्रकार का निर्णय करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। विवादित भूमि खसरा नं0 2683 वाके ग्राम लालसोट में स्थित मिन अपीलान्ट की सहखातेदारी भूमि खसरा नं0 2684 एवं अन्य खसरा नम्बरान के लगते हुए सीमा पर है तथा अपीलान्ट पडौसी सहखातेदार है किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 द्वारा मिन अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना प्रार्थना पत्र 128 एल.आर.एक्ट का पेश कर दिनांक 30.05.2024 को निर्णय पारित करवा लिया तथा अब तहसीलदार द्वारा राजस्व टीम गठित कर उक्त भूमि की पत्थरगढी करने का निर्णय पारित कर दिया जिस कारण अपीलान्ट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित हो रहा है तथा ग्रसित एवं पीड़ित पक्षकार होने के कारण अपील पेश करने का अधिकारी है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.05.2024 की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में कदापि नहीं थी दिनांक 11.12.2024 को हल्का पटवारी ने अपीलान्ट को बताया कि तुम्हारी बगल वाली जमीन के पत्थरगढी का निर्णय हमारे पास आ गया अब पुलिस इमदाद के पत्थरगढी करेगे तो अपीलान्ट ने पूछा की हमें बिना सुने कैसे निर्णय हो सकता है तो पटवारी ने बताया कि उपखण्ड अधिकारी कार्यालय का निर्णय तहसील में आया है जिस पर अपीलान्ट को बहुत

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

भयंकर चिंता हुई तथा अपीलान्ट ने उसी दिन उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में जाकर उक्त निर्णय बाबत् जानकारी की तथा उसी दिन नकल हेतु आवेदन पेश करने पर उसी दिन नकल प्राप्त कर जानकारी से एवं नकल प्राप्ति से अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। यदि अपील पेश करने में देरी मानी जावे तो धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 30.05.2024 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट सीधे रूप से प्रभावित पक्षकार है तथा प्रभावित पक्षकार होने के फलस्वरूप धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपील पेश करने के अधिकारी है जिसकी अनुमति अपीलान्ट को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा दिनांक 30.05.2024 निरस्त फरमाने की कृपा करे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 6 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्ट नं. 01 लगायत 6 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु पेश किया था। विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2683 रकबा 0.5691 है0 भूमि वाके ग्राम लालसोट, जिला दौसा में स्थित है, जो रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 6 की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 6 काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है और प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी आराजीयात व फसल की पशुओं से सुरक्षार्थ आदि के लिये पत्थरगढी इत्यादि करवाने का कानूनन हक, अधिकार प्रदत्त है। उन्होंने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 6 की आराजी की ही पत्थरगढी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2024 पारित किये गये। जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी को किसी प्रकार के उज्रात करने का कानूनी हक अधिकार प्रदत्त नहीं है बल्कि अपीलार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 6 को बैजा हैरान परेशान करने के उद्देश्य से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील पेश की गई है जो खारिज योग्य है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है, तो हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। दोनों ही पक्षों की मौजूदगी में सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी की जावे, तो हमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 7 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2024 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 11.12.2024 को होते ही नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर प्राप्त करना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 में पडौसी खातेदार काश्तकार अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए अपीलांट द्वारा तहत न्यायालय में कोई जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 6 के कथन को सही मानते हुए एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 6 की आराजी से लगती हुई अपीलान्ट की भूमि खसरा नं. 2683 स्थित है। वकील रेस्पोडेन्ट ने भी बहस के दौरान कथन किया है कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है, तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं हैं। दोनों ही पक्षों की मौजूदगी में सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी की जावे, तो हमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अपीलान्ट उक्त विवादित भूमि के समीपस्थ पक्षकारान् है। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपीलान्ट हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं समरी जॉच पश्चात् प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे।

अतः आदेश है कि –अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.05.2024 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं समरी जॉच पश्चात् प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 04.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर